



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49389-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 3120 वर्ष 2026

हरी पाल सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	: अंशुल कुमार गुप्ता, ज्योति गुप्ता
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: देवेश कुमार वर्मा, जी.ए., सुरेश चन्द्र वर्मा

न्यायालय संख्या - 45

**माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता
माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या-5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री देवेश कुमार वर्मा तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. प्रारंभ में ही, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. द्वारा यह अवगत कराया गया कि वर्तमान प्रकरण में अन्वेषण पूर्ण किया जा चुका है तथा दिनांक 23.12.2025 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा दिनांक 31.01.2026 को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान भी ग्रहण कर लिया गया है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके, तथापि उन्होंने यह निवेदन किया कि वे इस रिट याचिका का अनुसरण नहीं करना चाहते हैं तथा उपयुक्त चरण पर उपयुक्त मंच के समक्ष जाने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेने की अनुमति चाहते हैं।
4. उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह रिट याचिका उक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई मानते हुए निरस्त की जाती है।

दिनांक : 11 मार्च 2026

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आर.

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।